तेहरवें अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रीवा (म0प्र0)

{समक्ष : उपेन्द्र देशवाल}

क्लेम प्रकरण कमांक : 245/16
फाइलिंग दिनांक : 16.04.2013
रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2014
फाइलिंग नंबर 5683/13
CNR MP 1701-003619-2013

राजेश कुमार तिवारी, उम्र–26 वर्ष, तनय श्री पदमनाथ तिवारी, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम तिवनी कॉव टोला, थाना व तहसील मनगवां, जिला–रीवा(म0प्र0)

.....आवेदक

ब ना म

1. रविराम तनय सतीराम निवासी साकिन विरनो, थाना विरनो, जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) वाहन चालक ट्रक कमांक– यू0पी0–65 बी.टी./0252
2. महेन्द्र कुमार मौर्य तनय स्व. श्री एस.एल.मौर्य, निवासी मावइया आशापुर, सारनाथ, वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) वाहन स्वामी ट्रक कमांक– यू0पी0–65 बी.टी./0252
3. प्राधिकृत अधिकारी, यूनिवर्सल शैम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल(म0प्र0) बीमा कम्पनी वाहन ट्रक कमांक– यू0पी0–65 बी.टी./0252

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री बृजेश तिवारी अधिवक्ता।
अनावेदक 1 व 2 द्वारा श्री अन्नू पटेल अधिवक्ता।
अनावेदक 2 द्वारा श्री ए0के0 अवस्थी अधिवक्ता

:: अधिनिर्णय ::

{ आज दिनांक 13.09.2019 को घोषित }

1. आवेदक राजेश कुमार तिवारी द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध यह दुर्घटना दावा अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम रूपये 36,83,000/– रूपये (छत्तीस लाख

तेरासी हजार रूपये) की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.02.2013 को दिन में आवेदक अपने विभागीय कार्य के दौरान हनुमना मशीन की सर्विसिंग हेतु गया था और वहां से लौट रहा था साथ में उसके रिश्ते के चाचा को पीछे बैठाकर मोटर साइकिल से हनुमना से रीवा की ओर जा रहा था करीब 3:00 बजे दिन आवेदक जब मउगंज कस्बा में पहुंचा तो पीछे से आ रहे वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0–65 बी.टी./0252 का चालक वाहन को काफी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आवेदक की मोटरसाइकिल में पीछे से ठोकर मार दिया जिससे आवेदक रोड पर गिर गया और उसे दाहिने पैर में गंभीर चोंट कारित हुई थी। दुर्घटना के तत्काल बाद आवेदक को दिनांक 07.02.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मउगंज जिला रीवा में इलाज हेतु लाया गया जहां के चिकित्सकों द्वारा आवेदक का प्रारंभिक उपचार किया गया। हालत अत्यंत गंभीर होने की वजह से आवेदक को मउगंज अस्पताल के डाक्टरों द्वारा इमरजेंसी सेवा 108 वाहन द्वारा इलाज हेतु रीवा भिजवाया गया जहां आवेदक को संजय गांधी अस्पताल रीवा में इलाज हेतु लाया गया जहां आवेदक की चोंटो का परीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया गया तथा आवेदक के दाहिने पैर में जांघ के उपरी हिस्से पर कमर के पास गंभीर किस्म की चोंट थी, गहरा घाव हो गया था, खून बह रहा था जहां चिकित्सकों ने 17 टॉके लगाये थे। उसकी चोंट से लगातार खून का रिसाव जारी था तथा उसकी हालत अत्यंत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज हेतु जबलपुर भेज दिया गया तथा उसे जामदार हास्पिटल में भर्ती किया गया जहां डाक्टरों द्वारा उसका एक्स–रे व पैथालॉजी जांच किया गया।

3. आवेदक के पैर में कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया व रिंग डाली गयी तथा चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के दौरान बताया गया कि पैर पूरी तरह खराब हो गया है उनका पैर काटना पड़ेगा। जामदार हास्पिटल के चिकित्सकों द्वारा आवेदक की चोंट अत्यंत गंभीर होने के कारण उसे आगे के इलाज हेतु नागपुर के चांडक हास्पिटल में इलाज कराने की सलाह दी गयी, तब आवेदक को 09.02.2013 को सेन्ट्रल एवेन्यू क्रिटिकल केयर हास्पिटल एण्ड आई.सी.सीयू नागपुर में भर्ती किया गया जहां आवेदक का इलाज किया गया किन्तु आवेदक के पैर में काफी संक्रमण फैल गया था। काफी इलाज व प्रयास के बाद भी चिकित्सक जब आवेदक का पैर ठीक नहीं कर पाये तब उसकी जान बचाने के लिए आवेदक का दायां पैर घुटना के पास से काट दिया।

आवेदक राजेश के शरीर में आयी अन्य चोंटो का तथा कटे हुए पैर का चिकित्सकों द्व ारा इलाज किया गया तथा 08.03.2013 को छुट्टी दे दी गई। आवेदक का अभी भी इलाज जारी है तथा डॉक्टरों द्वारा कृत्रिम पैर लगवाने की सलाह दी गई है। घटना की रिपोर्ट थाना मउगंज जिला रीवा में की गई जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी चालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की गई जिस पर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध न्यायायिक दण्डाधिकारी मउगंज के न्यायालय में मामले का चालान पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। दुर्घटना के समय आवेदक हट्टा–कट्टा नौजवान था तथा वह डेक्कन अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमि0 ट्रांसपोर्ट नगर सतना ब्रांच में सर्विस इंजीनियर का कार्य करता था। दुर्घटना से उसके दायें पैर के घुटने तथा जांघ की हड्डी में अत्यंत गंभीर किस्म का फ्रैक्चर होने के कारण इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा घुटने के पास से काट दिया गया जिससे वह अपना सर्विस इंजीनियर का काम करने के लायक नहीं रहा है। आवेदक चलने–फिरने एवं सभी कार्य करने में असमर्थ हो गया तथा उसकी कार्यक्षमता में 100 प्रतिशत की कमी आ गई।

4. इस प्रकार स्थाई रूप से विकलांग होने के फलस्वरूप आवेदक को अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथक–पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति मुवलिग राशि 36,83,000/–रूपये (छत्तीस लाख तिरासी हजार रूपये) आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं एवार्ड की राशि मय ब्याज एक माह के अंदर अदा न किये जाने पर धारा 168(3) मोटरयान अधि0 के तहत ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

5. अनावेदक क्रमांक–1 व 2 द्वारा अपना कोई जबाव लिखित में पेश नहीं किया गया है। अनावेदक क्रमांक–03 द्वारा आवेदन पत्र के कथन से इंकार करते हुए निम्न कथन किया गया है कि यदि वाहन ट्रक क्रमांक– यू0पी0–65 बी.टी./0252 का बीमा अनावेदक क्र0 3 कार्यालय से होना पाया जाता है और उसमें धारा 64 व्ही0बी इन्श्योरेंस एक्ट का अनुपालन होना पाया जाता है तो अनावेदक–3 का दायित्व बीमा पॉलिसी शर्तों के अनुसार होगा अन्यथा अनावेदक 3 अपने दायित्व से इंकार करता है। अनावेदक क्र0 1 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जो कि मोटर यान अधिनियम एवं बीमा प्रमाणित पाये जाने पर बीमा पालिसी की शर्तों

का स्पष्ट उल्लंघन है, इस कारण आवेदक वांछित अनुतोष अनावेदक क्रमांक–3 से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अनावेदक–2 द्वारा अपने वाहन का संचालन बगैर वैध एवं प्रभावी परमिट एवं फिटनेश के किया जा रहा था जो कि मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन है। आवेदक ने म0प्र0 मोटरयान नियम में वर्णित ''निर्धारित प्रारूप'' में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया है, इस कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। यदि आवेदक इलाज करने वाले चिकित्सक के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सक का स्थायी अपंगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसा प्रमाण पत्र बाद में बनाया गया होने से साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। आवेदक को कोई गंभीर चोंटे या स्थायी अपंगता धारा 142 मोटर यान अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं हुई है। कथित दुर्घटना होने की सूचना नियमानुसार बीमाधारक द्वारा बीमा कार्यालय को मोटर यान अधिनियम की धारा 134(सी) के तहत नहीं दी गई थी जो बीमा पॉलिसी एवं मोटर यान अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अनावेदक क्र0 3 के द्वारा उपरोक्त आधारों पर उसके विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत 166 मो0व्ही0ए0 के सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई है, जिनका निराकरण उनके समक्ष अंकित निष्कर्षों के अनुसार किया जा रहा है :–

स.क	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 07.02.2013 को समय लगभग 03:00 बजे दिन बस स्टैण्ड मउगंज, अंतर्गत थाना मउगंज, जिला रीवा म0प्र0 में अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 65–बी0टी0/0252 को अनावेदक क्र0 1 ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदक राजेश कुमार तिवारी को टक्कर मार दिया, जिससे आवेदक को गंभीर उपहति कारित हुई?	
2.	क्या दुर्घटना दिनांक 07.02.2013 को अनावेदक क्रमांक 01 के पास वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 65–बी0टी0/0252 को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का आभाव था?	

3.	क्या दुर्घटना दिनांक 07.02.2013 को वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 65–बी0टी0/0252 अनावेदक क्रमांक 03 के यहां बीमित था?	
4.	क्या दुर्घटना दिनांक 07.02.2013 को वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 65–बी0टी0/0252 को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था?	
5.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से प्रतिकर की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हा तो किससे और कितना?	
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

7. अनावेदक क्र0 3 की ओर से तर्क में व्यक्त किया है कि ई.एस.आई ऐक्ट अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 53 के तहत यह प्रकरण चलने योग्य नही है, क्योंकि ई.एस.आई. के तहत आहत बीमित था। इस संबंध में न्यायादृष्टांत–'' माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील नंबर 3324/09 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध हमीदा खान एवं अन्य पारित निर्णय दिनांक 06.05.09 प्रस्तुत किया गया है।

8. आवेदक द्वारा अपने दावे की कंडिका 24 में बताया है कि दिनांक 07.02.2013 को वह अपने विभागीय कार्य के दौरान हनुमना मशीन की सर्विसिंग हेतु गया था और वहां से लौट रहा था। साक्षी ने अपने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 की कंडिका 2 में उक्त तथ्य का समर्थन किया है उक्त कथन का समर्थन राजेश तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी (अ0सा0 2) ने भी किया है। (अ0सा0 1) राजेश कुमार तिवारी ने अपने शपथ पत्र की कंडिका 7 में बताया है कि दुर्घटना के समय वह डेकन अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट नगर सतना ब्रांच में सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में बताया कि दुर्घटना के समय वह डेकन अर्थमूवर्स में नौकरी करता था और दुर्घटना के समय वह कंपनी के कार्य से हनुमना गया था और वहां से लौट रहा था। साक्षी ने बताया कि उसकी कंपनी से कर्मचारियों का बीमा होता है जिसमें कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाती है।

9. विकास सोलंकी (अ0सा03) ने अपने न्यायालयीन कथन मे बताया है कि वह डेकन अर्थ मूवर्स में वह ग्रुप सीनियर एच.आर. एक्जीक्यूटिव के पद पर पदस्थ है। साक्षी ने बताया कि आवेदक राजेश कुमार तिवारी डेकन सेल्स सर्विस के डिवीजन डेकन अर्थ मूवर्स में सर्विस इंजीनियर के पद पर कार्य करता था जिसका अटेडेन्स रजिस्टर उसने पेश किया है जो प्र0पी0 255 है, जो पांच पेजों में है जिसमें राजेश तिवारी की जनवरी, फरवरी, मार्च वर्ष 2013 एवं दिसंबर 2012 का अटेडेंस रजिस्टर पेश किया है। राजेश तिवारी का सैलरी स्टेटमेंट प्र0पी0 256 है तथा उक्त कंपनी की ट्रैवल्स पॉलिसी पेश की है जो प्र0पी0 258 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदक दुर्घटना के समय कंपनी के काम से गया था जब वह वापस लौट रहा था तभी उसकी दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने बताया कि यदि नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तब उनके यहां क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। इसके लिए उन्होंने ई.एस.आई. के अंतर्गत कवरेज लिया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है उनके यहां कार्यरत कर्मचारी को कोई क्षति होती है तो सीधे उन्हे ई.एस.आई में आवेदन देते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0 257 में आवेदक के ई.एस.आई. की प्रीमियम देने का उल्लेख है, जिसमें क्रमशः 126/—रूपये, 112/— रूपये, एवं 15/— की कटौती की गई है। प्र0पी0 256 में भी ई.एस.आई प्रीमियम कटौती का उल्लेख किया गया है। साक्षी ने बताया है कि उनकी कंपनी ई.एस.आई नंदानगर इंदौर से जुड़ी हुई है, वहां कर्मचारियों से संबधित दावे किए जाते हैं ।

10. उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आहत कर्मचारी का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमा था। अनावेदक क0 3 की ओर से **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध हमीदा खान एवं अन्य ए0आई0आर0 2009 सुप्रीम कोर्ट 2599 के पैरा 9** में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि— *9. Experience of the administration of the ESI Act had disclosed certain difficulties in its working. It was, therefore, further amended in 1966. Along with other amendments made in the ESI Act the legislature substituted present Section 53 which read as under :*

"53. Bar against receiving or recovery of compensation or damages under any other law.- An insured person or his dependants shall not be entitled to receive or recover, whether from the employer of the insured person or from any other person, any compensation or damages under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) or any other law for the time being in force or otherwise, in

respect of an employment injury sustained by the insured person as an employee under this Act."

11. प्रस्तुत प्रकरण को देखा जाये तो उसमें मोटरयान दुर्घटना में कर्मचारी की दुघ र्टना में आहत हो जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन पेश किया गया है जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि आहत कर्मचारी मोटरयान अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं है। जैसा कि उक्त न्यायादृष्टांत से भी स्पष्ट है कि इस संबंध में कभी भी आपत्ति उठाई जा सकती है कि आवेदक प्रतिकर के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत ही क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है न कि मोटरयान अधिनियम के तहत।

12. तद्नुसार आवेदक का यह प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य नहीं है जिससे वादप्रश्नों पर न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

13. तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

14. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

15. तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।	मेरे निर्देश पर टंकित।
सही / – **(उपेन्द्र देशवाल)** तेरहवें अपर मो0दु0दा0अधि0 रीवा म0प्र0	**सही / –** **(उपेन्द्र देशवाल)** तेरहवेअपर मो0दु0दा0अधि0 म0प्र0

रीवा,

दिनांकः–13.09.2019